

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3309  
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

**'स्टार्स' परियोजना के उद्देश्य**

†3309. श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम एवं परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है;
- (ख) परियोजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इसका उद्देश्य विश्व बैंक एवं राज्य अंशदान के सहयोग से चिह्नित राज्यों में स्कूली शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा देना है;
- (घ) 'स्टार्स' योजना के अंतर्गत शामिल राज्य तथा उनके अंतर्गत किए गए गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप क्या हैं; और
- (ङ.) योजना के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स) कार्यक्रम को छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 5 वर्षों की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना में चयनित राज्यों में छात्रों के परिणामों में सुधार और चयनित राज्यों में स्कूली शिक्षा के प्रशासन की परिकल्पना की गई है। परियोजना के

लक्षित लाभार्थी 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे (प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक) शिक्षा संस्थान और शिक्षक हैं। जबकि केंद्र सरकार की भूमिका नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करना, योजना के मानदंडों के अनुसार केंद्रीय हिस्सा जारी करना और योजना की समग्र निगरानी करना है। योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए राज्य जिम्मेदार हैं, योजना के लिए अपने हिस्से की निधियां उपलब्ध कराते हैं और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। राज्यों को प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करने के उद्देश्य से, योजना की विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, हर घटक के लिए संवितरण से जुड़े संकेतक (डीएलआई) तैयार किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए समय-समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, इस योजना में गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निहित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र है, जैसेकि विश्व बैंक का संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) जिसका उद्देश्य प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य तंत्रों में परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और लेखा परीक्षा तंत्र शामिल हैं।

(ग): स्टार्स परियोजना का उद्देश्य इन सफल प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके और बेहतर विकेंद्रीकृत प्रबंधन और नियोजन के माध्यम से सुधारों को लागू करके शैक्षिक सेवा वितरण को बढ़ाना है। यह प्रारंभिक शिक्षा, अधिगम आकलन, कक्षा शिक्षा और शिक्षक विकास को सुदृढ़ करता है जबकि उच्चतर शिक्षा में बदलाव की सुविधा प्रदान करता है और शासन को मजबूत करता है। स्टार्स का उद्देश्य विकेंद्रीकृत शैक्षणिक नियोजन, कठोर शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रभावी प्रोत्साहन और व्यापक स्कूल तत्परता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके शासन और प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना है।

स्टार्स परियोजना के तहत राज्य की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए भारत की सरकारी संरचना का लाभ उठाया जाता है, जबकि संतुलन राज्यों को सहयोग, परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चुनिंदा घटकों और सरकारी स्तर पर समग्र शिक्षा योजना के सहयोग की ओर काफी हद तक प्रवृत्त होगा। परियोजना के लिए सहायता एक हाइब्रिड ऑपरेशन के रूप में दी जाती है, जिसमें राज्य-स्तरीय सुधारों को सुविधाजनक बनाने हेतु परिणाम के लिए कार्यक्रम (पीफॉरआर) घटक और एक तकनीकी सहायता घटक दोनों शामिल हैं। पीफॉरआर तंत्र के तहत राज्यों को संवितरण-संबंधी संकेतकों (डीएलआई) को पूरा करना होता है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सुधार करना और माध्यमिक शिक्षा पूर्णता दर को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) स्कोरकार्ड राज्यों को शैक्षिक सेवा वितरण को बढ़ाने और राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका उद्देश्य अंततः पूरे देश में बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करना है। यह कार्यक्रम छह राज्यों को उनके राज्य-विशिष्ट संदर्भ, सुधार एजेंडे और आवश्यकताओं के आधार पर पाँच उप-घटकों के समूह में से चुनने की सुविधा प्रदान करता है। राज्य घटक का उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षण मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार करना, शिक्षक के प्रदर्शन और कक्षा कार्य को बढ़ाना, स्कूल से कार्यस्थल/उच्चतर शिक्षा में परिवर्तन को सुदृढ़ करना तथा शासन और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन में सुधार करना है।

(घ): स्टार्स परियोजना के तहत छह स्टार्स राज्यों में शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई प्रभावशाली गुणवत्ता गतिविधियां शुरू की गई हैं। ये पहल डेटा-संचालित निर्णय

लेने, कैरियर मार्गदर्शन, रचनात्मक शिक्षा, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता पर केंद्रित हैं।

उपायों में से एक विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) के रूप में जानी जाने वाले आदेश और नियंत्रण केंद्र इकाई है, जो एक डेटा-संचालित उपकरण है जिसे शैक्षिक हितधारकों को सजग निर्णय लेने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। शैक्षिक डेटा एकत्र करके और उसका विश्लेषण करके, वीएसके प्रगति को ट्रैक करने, रुझानों की पहचान करने और शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने वाले साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। यह परियोजना कम आय वाले परिवारों और कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को अकादमिक सहायता और कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्थान प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके पूरक के रूप में, रचनात्मकता और अंतर्विषयक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में रचनात्मक प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। ये स्थान विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों को एकीकृत करते हैं, छात्रों को व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए, प्रशस्त ऐप सार्वभौमिक स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रारंभिक पहचान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन बच्चों को समय पर सहायता मिल सकती है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस पहल को शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण द्वारा पूरक बनाया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए सक्षम हैं।

स्कूल की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए, एक स्कूल सुलभता कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें बच्चों को ग्रेड 1 के लिए तैयार करने के लिए संसाधन, स्वास्थ्य जांच और विकासात्मक

आकलन प्रदान किए गए हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि बच्चे अपनी औपचारिक शिक्षा यात्रा शुरू करते समय अकादमिक और सामाजिक रूप से अच्छी तरह से सक्षम हों। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए, आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) मॉडल स्कूलों को विस्तृत दिशा-निर्देशों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जिससे आधारभूत स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इन दिशा-निर्देशों को कई स्कूलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो भविष्य की शैक्षणिक सफलता के लिए बुनियादी कौशल के महत्व पर जोर देते हैं। अंत में, गोष्ठी, सम्मेलन और कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रम युवा मस्तिष्कों को कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में दुनिया की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह पहल छात्रों को अभिनव समाधान विकसित करने और उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे रचनात्मकता और समस्या-समाधान को बढ़ावा मिलता है।

स्टार्स परियोजना के तहत कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाने, शिक्षा और स्कूल से काम पर जाने के बीच के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्यशालाएँ शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक उपकरण, नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराती हैं। अनुभवात्मक शिक्षा और परिणाम-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, शिक्षक छात्रों को समग्र विकास और कौशल अधिग्रहण की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं। साथ में, स्टार्स परियोजना के अंतर्गत ये पहल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, छात्रों और शिक्षकों दोनों को सहायता प्रदान करने तथा अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के निरूपित करती हैं।

(ड): स्टार्स परियोजना के अंतर्गत कुल स्वीकृतियां एवं व्यय की स्थिति (वित्त वर्ष 2024-25 तक)

(रुपए करोड़ में)

| राज्य का नाम  | कुल केंद्रीय रिलीज | कुल राज्य रिलीज | कुल रिलीज      | व्यय*          | कुल रिलीज का व्यय % |
|---------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| सी1           | सी2                | सी3             | सी4 = सी2+सी3  | सी5            | C6 = सी5/सी4*100    |
| हिमाचल प्रदेश | 393.67             | 43.74           | 437.41         | 343.86         | 78.61 %             |
| केरल          | 292.54             | 195.03          | 487.57         | 356.24         | 73.06 %             |
| मध्य प्रदेश   | 169.28             | 112.85          | 282.13         | 252.82         | 89.61 %             |
| महाराष्ट्र    | 303.86             | 202.57          | 506.43         | 393.59         | 77.74 %             |
| ओडिशा         | 432.17             | 288.11          | 720.28         | 520.14         | 72.21 %             |
| राजस्थान      | 393.73             | 262.49          | 656.22         | 512.93         | 78.16 %             |
| <b>कुल</b>    | <b>1985.25</b>     | <b>1104.79</b>  | <b>3090.04</b> | <b>2379.58</b> | <b>77.01 %</b>      |

\* राज्यों द्वारा अनुमोदन एवं व्यय में केन्द्र एवं राज्य दोनों अंश शामिल हैं।